<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</u>

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.1-4/2026-हिं.अ. दिनांक: 08.05.2026

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को अखिल <u>भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के किए गए राजभाषायी निरीक्षण संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 12.03.2026 के पत्र सं. ई.-11013/19/2021-रा.भा. के अनुसार राजभाषा संकल्प, 1968 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के तहत राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित राजभाषायी निरीक्षण संबंधी लक्ष्यों और साथ ही, संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण संबंधी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राजभाषायी निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का राजभाषायी निरीक्षण किया गया था। इस राजभाषायी निरीक्षण के दौरान ऑब्जर्वेशन्स के आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर संस्थान का ध्यान आकर्षित करने एवं इन बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है:-

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजभाषा विभाग 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है। संस्थान में हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिंदी भाषा/हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण कक्षाओं में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए और प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में काम करने हेतु वैयक्तिश: आदेश भी जारी किए जाएं।
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सदस्य है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी बैठकों में कार्यालय प्रमुख स्वयं भाग लें।
3. संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से भाग लिया जाए।
4. हिंदी अनुभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाने वाली हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण हेतु नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को संबद्ध अनुभाग/केंद्रों द्वारा अनिवार्य रूप से भाग लेने के आदेश दिए जाएं।
5. हिंदी अनुभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/हिंदी प्रतियोगिताओं में संस्थान के सभी अधिकारियों/स्टाफ-सदस्यों/छात्र-छात्राओं आदि को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
6. संस्थान के सभी कंप्यूटरों में हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य करने की सुविधा है। सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड मंगल फोंट के जरिए अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाए।
7. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सभी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों में प्रयोग में लाए जा रहे सभी रजिस्टरों के शीर्षक एवं शीर्ष नाम द्विभाषी रूप में किए जाएं व सभी रजिस्टरों में अधिक से अधिक प्रविष्टियां हिंदी में करने का प्रयास किया जाए।

जारी-2/-

8. संस्थान के बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय/सभी केंद्रों आदि द्वारा हिंदी पुस्तकों की खरीद पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यानुसार धनराशि खर्च की जाए।
9. संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा सभी नामपट्ट/रबड़ की मोहरें/साइन बोर्ड आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में प्रयोग में लाए जाएं।
10. संस्थान के सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन भविष्य में भी सुनिश्चित किया जाए। संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से केवल हिंदी में ही दिया जाए।
11. संस्थान के सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा अपनी ओर से मूल रूप में भेजे गए हिंदी पत्राचार का प्रतिशत वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जाए।
12. संस्थान के सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा फाइलों/ई-ऑफिस में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण कार्य वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य अनुसार किया जाए।
13. संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा संस्थान की वेबसाइट पर जो भी सूचना/परिपत्र/आदेश/कार्यालय ज्ञापन/विषय सामग्री अपलोड करने हेतु कंप्यूटर सुविधा को प्रेषित की जाती है, उसे अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाए।

अतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रेषित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट में दिए गए बिन्दुओं सहित उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा अनुपालनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि संस्थान में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में और अधिक वृद्धि हो सके।

इसे माननीय निदेशक महोदय के अनुमोदन से आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

(दिव्या मनामद्दाला)
वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं
राजभाषा अधिकारी

<u>वितरण:</u> तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभाग/केंद्र।

प्रतिलिपि:

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदया के प्रधान निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- संयुक्त निदेशक (राजभाषा) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

नोट:

- **"क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।**
- **"ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमण व दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।**
- **"ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।**